न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-56/2012

मालाराम पुत्र गणपतराम जाति गुर्जर निवासी रंवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं (राज0)

--अपीलान्ट--

---बनाम---

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार खेतडी जिला झुन्झुनू।

---रेस्पोडेन्ट--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27-3-2012 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनू एवं निर्णय दिनांक 30-5-2011 द्वारा नायब तहसीलदार खेतडी ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री दाताराम सिंह एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री बिरजूसिंह शेखावत राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक- 15.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट तहसीलदार खेतडी को पेश की कि मालाराम पुत्र गणपत गुर्जर ने सम्वत 2067 में आराजी ख0नं0 234 रकबा 1.15 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड में से 0.01 हैक्टर पर खुडी, टीन शैड, बनाकर रूडी एवं झाडी डालकर अतिक्रमण कर रखा है । इस पर नायब तहसीलदार ने सुनवाई करते हुये गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश दिये तथा लगान का 50 गुणा अर्थ दण्ड कायम किया गया । इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपील विद्वान अति0 जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां पेश की जिसको बाद सुनवाई खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने पटवारी हल्का के शपथ पूर्वक बयान लिये बिना तथा रिपोर्ट को बिना प्रदर्श मार्क किये बिना आदेश पारित किया है अदालत मातहत ने साक्ष्य अधिनियम की अवेहलना कर अपना आदेश पारित किया है। अपीलान्ट एक बी0पी0एल0 परिवार का सदस्य है। जिसने ग्राम पंचायत द्वारा आर्थिक सहायता से मकान बनाये है ।अपीलान्ट का इस आराजी पर काफी पुराना कब्जा है । इस आराजी के अलावा अपीलान्ट के पास कोई आवासीय भूमि नहीं है । अदालत मातहत ने अपना आदेश केवल आदेशिका पर पारित किया है।अदालत मातहत ने कानून की अनदेखी कर अपना निर्णय पारित किया है । जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर न देते हुये आदेश पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा है । इस आराजी पर ग्राम पंचायत द्वारा बीपीएल परिवारों को आवासीय मकानों की सहायता से मकानो का निर्माण किया गया है ।अपीलान्ट के पास इस आराजी के अलावा अन्य कोई आवासीय आराजी नही है । अदालत मातहत ने पटवारी हल्का के बिना गयान लिये आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी गैर मुमकीन जोहड की आराजी है जो राजकीय खाते में दर्ज है । इस आराजी पर अपीलान्ट ने कब्जा कर मकान बनाये है तथा रूडी व झाडिया डाल कर अतिक्रमण किया है । जिसकी जाच कर ही अपीलान्ट को मौके से बेदखल

भूल नहीं की है । अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 234 रकबा 1.15 हैक्टर गैरमुमकीन जोहड की भूमि है । जिसमें 0.85 हैक्टर गै0मु0 जोहड एवं गै0मु0 रास्ता का रकबा 0.26 हैक्टर दर्ज है । उक्त दोनो ही प्रकार की आराजी पर यदि कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो कानूनन उसका कब्जा हटाया जावेगा। उसको उक्त दोनों ही किस्म की आराजी का न तो आवंटन किया जावेगा और न ही नियमन किया जावेगा ।अपीलान्ट को अदालत मातहत ने सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये आदेश पारित किया है ।अपीलान्ट का यह कथन की वह बीपीएल परिवार का सदस्य है । कानून बीपीएल सदस्य को अनाधिकृत कार्य के लिये कोई स्वीकृति नहीं दी जा सकती । अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत कृत्य करते हुये अतिक्रमण किया है । जिससे अदालत मातहत ने बेदखल करने का आदेश पारित किया है, अदालत मातहत का आदेश विधि संगत है । जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नही मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 28-3-2012 एवं विद्वान नायब तहसीलदार खेतडी का निर्णय दिनांक 30-5-2011 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 15.11.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर